Gen. No. 13

विविध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 58/2018 (RCMS 2018/00109) विक्रम नाथ चेला बाबा शुभनाथ, जाति नाथ, निवासी चक 2–एम.एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. धर्मनाथ चेला शुभनाथ, जाति नाथ, निवासी चक 2 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एम एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3. यशपाल आहुजा, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

31.07.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 09/2018, धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण धर्मनाथ चेला शुभनाथ एवं सरपंच ग्राम पंचायत 2 एमएल के विरूद्ध पेश किया है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है, इसलिए अन्यत्र सक्षम उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई व निस्तारण के मुंतकिल किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर जिस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत किया था, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी आ चुके है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर